बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 17.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 6,397 लीटर अवैध शराब, जमुई जिला में 1 डेटोनेटर, पटना जिला में 1 खोखा एवं शिवहर जिला में 1 पिकअप वैन (BR-55 9034), मधेपुरा जिला के मीरगंज से 1.5 किलोग्राम गाँजा एवं गया जिला के गुरूआ थानान्तर्गत एक गाड़ी से 273 मोबाईल फोन जप्त किया गया। इसके साथ ही गंगौर थाना के गहटारा में 40 लीटर महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

इसके अतिरिक्त भोजपुर जिले में ₹2,00,000/–, बक्सर जिले के डुमराँव थानान्तर्गत ₹2,00,000/– एवं पटना के गाँधी मैदान थानान्तर्गत पालीगंज के विधायक के आप्त सचिव के पास से ₹12,00,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	123
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	7
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	10
Violation of Loudspeaker Act	4
Others	9

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	14
No. of Explosives seized	5
No. of cartridges seized	41

No. of Licensed Arms verified	220
No. of Licensed Arms deposited	765
No. of Licensed Arms Cancelled	197
No. of non-bailable warrants executed	684
Fine collected in vehicle checking	Rs. 28.06.559

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु अधिसूचना जारी होने के पश्चात दिनांक 16.09.2015 को बांका जिलान्तर्गत 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 तथा दिनांक 17.09.2015 को समस्तीपुर जिलान्तर्गत 136–सरायरंजन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 तथा नवादा जिला के 236–हिसुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 1 नाम–निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है। इस प्रकार आज तक कुल 3 नाम–निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है।

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आज दिनांक 17.09.2015 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो मिर्ची के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के सहयोगी यंग इंडिया पटना चैप्टर–सी०आई०आई० के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के उपयोग पर विचार–विमर्श किया गया।

6. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज एवं सिवान जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

****